राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–7) विभाग

क्रमांक : प.7(1)गृह–7/2021 जयपुर, दिनांक : 07.09.2021

समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर,
समस्त पुलिस अधीक्षक,
राजस्थान।

विषयः सार्वजनिक रूप से किसी भी प्रकार के भीड़–भाड़ सम्बन्धी कार्यक्रमों के आयोजनों के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

गृह सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अर्द्धशासकीय पत्र No. 40–03/2020-DM-I(A) दिनांक 28.08.2021 द्वारा आगामी त्योहारों के अवसर पर एवं सार्वजनिक रूप से भीड़–भाड़ को नियंत्रित करने हेतु स्थानीय प्रतिबंध लगाने एवं कोविड–19 के प्रभावी प्रबंधन हेतु Five-fold strategy यथा Test-Track-Treat-Vaccination and adherence to COVID Appropriate Behaviour पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में निर्देश प्रदान किये है। Indian Council of Medical Research (ICMR) and National Centre for Disease Control (NCDC) ने भी ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों के **सुपर स्प्रेडर इवेंट** में बदलने की संभावना के बारे में चिंता व्यक्त की है।

यद्यपि प्रदेश में कोविड–19 महामारी के संक्रमण के प्रसार की चैन को तोड़ने/नियंत्रण करने हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी कर विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंधों के साथ आमजन की सुविधा एवं वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक गतिविधियों के संचालन की अनुमति भी प्रदान की गई है।

पिछले कुछ दिनों से कोरोना के पॉजिटिव मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। फिर भी कुछ राज्य ऐसे हैं, जो अभी भी दैनिक पॉजिटिव मामलों में वृद्धि के संकेत दर्शाते हैं। इसलिए वर्तमान में पूरी तरह सजग रहने एवं सावधानी बरतने के साथ कोविड उपयुक्त व्यवहार, Test-Track-Treat प्रोटोकॉल एवं टीकाकरण के साथ–साथ मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखने की भी अतिआवश्यकता है।

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 10.07.2021 द्वारा प्रदेश में किसी भी प्रकार के भीड़–भाड़ सम्बन्धी आयोजन यथा सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल–कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/जुलूस/त्योहारों का आयोजन/मेलों/हाट बाजार इत्यादि की आगामी आदेशों तक अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर आमजन द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार/कोरोना प्रोटोकॉल की अनुपालना का अभाव कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। संक्रमण अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसलिए कोविड–19 संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए **प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी प्रकार के भीड़–भाड़ वाले कार्यक्रम यथा–धरना प्रदर्शन/जुलूस/रैलियों इत्यादि का आयोजन ना हो।**

समस्त जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस आयुक्त द्वारा **"No Mask No Movement"** की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाई जाए। किसी भी प्रतिष्ठान/बाजार/आमजन आदि द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार के मानदंडो का पालन नहीं किया जाता है तो प्रशासन द्वारा उनके विरूद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

(अभय कुमार)
प्रमुख शासन सचिव, गृह